भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

DPSS.CO.OD.No. 3420/06.06.003/ 2016-17 **June 08, 2017**

The Chairman and Managing Director / Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks including RRBs /
Urban Co-operative Banks / State Co-operative Banks /
District Central Co-operative Banks

Madam/Dear Sir,

Mobile Banking transactions in India - Reporting of Data

A reference is invited to our "Master Circular – Mobile Banking transactions in India – Operative Guidelines for Banks" dated July 01, 2016 and our email dated May 02, 2017 seeking clarification on the details of the type/nature of transactions that are included in the monthly mobile banking returns submitted by entities.

2. It was observed that few banks were also including the data from their corporate segment wherein the payment transaction is initiated through other channels (file upload, host-to-host connectivity etc.) and only the authorisation for payment is done using the mobile phone.

3. In order to bring consistency in the data reported, it is advised that banks shall report only the following in the mobile banking return

- Transactions that are initiated, authorised and completed using channels such as SMS, USSD and application (including bank's mobile banking applications, UPI, BHIM, USSD app etc.).

4. It is further advised that the following types of transactions should not be included

- Internet banking transactions done using mobile browsers or through internet banking applications operating on mobile phones
- Corporate segment transactions wherein the payment transaction is initiated through other channels (file upload, host-to-host connectivity etc.)
- Transactions undertaken using Mobile Wallet

5. The revised format for reporting the data effective from the month of **July 2017**, to Reserve Bank is **enclosed**. Banks that have not commenced operations are advised to furnish a 'NIL' return. As per the regular practice, the returns should be submitted to osddpssco@rbi.org.in and snehatambe@rbi.org.in by the 7th of the next month. (i.e. July 2017 mobile banking return should be submitted by August 07, 2017)

6. This directive is issued under Section 12 read with Section 19 of Payment and Settlement Systems Act 2007. Non-compliance with the instructions will be liable to penal action.

Yours faithfully

(Nilima Ramteke)
General Manager

Encl: as above

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

डीपीएसएस.सीओ.ओडी.सं. 3420 /06.06.003/ 2016-17 08 जून 2017

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - आंकड़ों की रिपोर्टिंग

हमारे दिनांक 01 जुलाई 2016 के "मास्टर परिपत्र - भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश" और हमारे दिनांक 02 मई 2017 के ई-मेल का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक मोबाइल बैंकिंग विवरणियों में शामिल किए जाने वाले लेनदेनों के प्रकार / प्रकृति से संबन्धित विवरणों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

2. यह पाया गया कि कुछ बैंक अपने कॉरपोरेट सेगमेंट के आंकड़ों को भी शामिल कर रहे थे जिसमें भुगतान लेनदेन अन्य चैनलों (फ़ाइल अपलोड, होस्ट-टू-होस्ट कनेक्टिविटी इत्यादि) के माध्यम से शुरू किया जाता है और केवल भुगतान के लिए प्राधिकरण मोबाइल फोन का उपयोग कर के किया जाता है।

3. रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में अनुरूपता लाने के लिए यह सूचित किया जाता है कि बैंक, मोबाइल बैंकिंग विवरणी में केवल निम्नलिखित रिपोर्ट करेंगे

- लेनदेन जिन्हें एसएमएस, यूएसएसडी और एप्लीकेशन (बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, यूपीआई, बीएचआईएम, यूएसएसडी एप्लिकेशन इत्यादि सहित) का उपयोग करके शुरू, प्राधिकृत और पूर्ण किया जाता है।

4. आगे यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित प्रकार के लेनदेनों को शामिल न किया जाए

- मोबाइल ब्राउज़र अथवा मोबाइल फोन पर काम करने वाले इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशनों का उपयोग करके सम्पन्न किए गए इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन
- कॉर्पोरेट सेगमेंट लेनदेन जिसमें भुगतान लेन-देन अन्य चैनलों के माध्यम से शुरू किया जाता है (फ़ाइल अपलोड, होस्ट-टू-होस्ट कनेक्टिविटी इत्यादि)
- मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हुए किए गए लेन-देन

5. भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करने के लिए **जुलाई 2017** से प्रभावी संशोधित प्रारूप संलग्न है। जिन बैंकों ने परिचालन शुरू नहीं किया है उन्हें विवरणी में 'शून्य' दर्शाने की सलाह दी जाती है। नियमित प्रथा के अनुसार, विवरणियों को अगले महीने की 7 तारीख तक निम्नलिखित ई मेल पर प्रस्तुत किया जाए osddpssco@rbi.org.in और snehatambe@rbi.org.in। (अर्थात जुलाई 2017 से सबंधित मोबाइल बैंकिंग विवरणियाँ 07 अगस्त 2017 तक प्रस्तुत की जाएँ)

6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 के अंतर्गत जारी किया गया है। इस अनुदेश का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भवदीया

(निलिमा रामटेके)
महाप्रबंधक

भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वींमंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन,शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुम्बई - 400001
फोनTel: (91-22) 2264 4995; फैक्सFax: (91-22) 22691557; ईमेल-e-mail : cgmdpssco@rbi.org.in
Department of Payment and Settlement Systems, Central Office, 14th Flr, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai - 400001

हिंदी आसान है , इसका प्रयोग बढ़ाइए